न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री दौलतराम चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :— 12/2017

अपीलान्टान

1. भंवरी देवी पुत्र घीसाराम पत्नि हेमराज जाति सिरवी, निवासी बेरा अदायली, बगड़ीनगर, तह0 सोजत
2. गटूदेवी पुत्री घीसाराम पत्नि रूपाराम, जाति सिरवी, निवासी बेरा मुथो की ढीमडी, ग्राम बगड़ीनगर, तह0 सोजत
3. जमुदेवी पुत्री घीसाराम पत्नि मोहनलाल, जाति सिरवी, निवासी बेरा सुन्दर सागर, ग्राम सोजतरोड़, तह0 सोजत
4. अणचीदेवी पुत्री घीसाराम पत्नि लालाराम, जाति सिरवी, बेरा गुन्दिया, ग्राम हीरावास, तह0 सोजत
5. नेनी देवी पुत्री घीसाराम पत्नि देवाराम, जाति सिरवी, निवासी बेरा निम्बडिया, ग्राम बगडीनगर, तह0 सोजत जिला पाली राज0

बनाम

रेस्पोडेन्टान

1. मिश्रीदेवी पत्नि रामलाल
2. खुशबु पुत्री रामलाल
3. दिलीप पुत्र रामलाल प्रतिवादी 2 व 3 नाबालिग जरिए कुदरती वलीया माता प्रतिवादी संख्या 1 मिश्री देवी पत्नि रामलाल, जातियान सिरवी निवासी बेरा केशर बाग, बगडीनगर, तह0 सोजत, जिला पाली राजस्थान।
4. पन्नालाल पुत्र घीसाराम, जाति सीरवी, निवासी बेरा केशरबाग, बगडीनगर, तह0 सोजत पाली राजस्थान।
5. सरपंच ग्राम पंचायत बगडीनगर, तह0 सोजत, जिला पाली।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध ना.स. 798 स्वीकृत सरपंच ग्राम पंचायत बगड़ीनगर दिनांक 04.07.1998

तारीख रजू :—

उपस्थितिः—

1. श्री युगलकिशोर, अधिवक्ता अपीलान्टान उपस्थित।
2. श्री वासुदेव, विनोद वैष्णव, हीरालाल काढेर अधिवक्तागण रेस्पोडेन्टान उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक — 25.03.2021

अधिवक्ता अपीलान्टान ने एक राजस्व अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्टान अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि सरहद मौजा बगड़ी चक—1, भू—अभिलेख निरीक्षक बगड़ीनगर तह0 सोजत में खसरा संख्या 2449, 2450, 2485 से 2491 कुल खसरा 09, कुल रकबा 10.1200 हैक्टर चा0प्र0, जा0अ0, बंजड़, गै0मु0 रास्ता, बेरा व सड़ा की कृषि भूमि अपीलान्टान व रेस्पोडेन्टान व अन्य सह खातेदारान की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

कृषि भूमि स्थित है। अपीलाण्ट वंशावली अनुसार मूल पुरूष घीसाराम वल्द सुखाराम (फौत), पतासी (फौत) पत्नि घीसाराम, रामलाल, पन्नालाल, भंवरी देवी, गटूदेवी, जमूदेवी, अणचीदेवी, नेनीदेवी पिसरान घीसाराम, मिश्रीदेवी पत्नि रामलाल, खुशबु, दिलीप पिसरान रामलाल वारिसान है। घीसाराम वल्द सुखाराम, पतासी पत्नि घीसाराम तथा रामलाल पुत्र घीसाराम की मृत्यु हो चुकी है। जिनके स्वर्गवास उपरोक्त वंशवृक्ष अनुसार ही उनके उतराधिकार वारिसान हैं। रामलाल पुत्र घीसाराम जाति सिरवी निवासी बेरा केशरबाग बगडीनगर की मृत्यु हो चुकी है, उनकी मृत्यु बाद उनके वली वारिसान उतराधिकारी मिश्रीदेवी, खुशबु, दिलीप है, जो मृतक रामलाल के उतराधिकारी वारिसान होने व उक्त वादग्रस्त कृषि जोत की भूमि में उनके वली वारिसान का हक हिस्सा निहित है। उपरोक्त कृषि जोत की भूमि मे अपीलान्टान के पिता तथा रेस्पोडेन्टान के ससुर/दादा/पिता घीसाराम पुत्र सुखाराम का 1/4 हिस्सा तथा अपीलान्टान की माता व रेस्पोडेन्टान की सासु/दादी/माता पतासी पत्नि घीसाराम का 1/4 हिस्सा निहित है। अपीलान्टान के पिता तथा रेस्पोडेन्टान के ससुर/दादा/पिता घीसाराम पुत्र सुखाराम की मृत्यु के बाद उपरोक्त 1/4 हक हिस्से की कृषि जोत की भूमि मे अपीलान्टान व रेस्पोडेन्टान का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाकर उनके नाम खातेदारी दर्ज हो चुकी है। अपीलान्टान की माता व रेस्पोडेन्टान की सासु/दादी/माता पतासी पत्नि घीसाराम का 1/4 हक हिस्सो की भूमि में मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के पति/पिता रामलाल तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 पन्नालाल का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामलद किया है, जबकि अपीलान्टान का भी हक हिस्सा निहित था। पतासी पत्नि श्री घीसाराम की मृत्यु होने पर पटवारी हल्का बगडी चक–1 ने म्युटेशन संख्या 798 दिनांक 04.07.1998 को बिना जांच किये सरपंच ग्राम पंचायत बगडीनगर द्वारा स्वीकृत कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के पति/पिता रामलाल तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 पन्नालाल का नाम दर्ज किया गया। जबकि अपीलान्टान का नाम दर्ज नही किया। जबकि अपीलान्टान की माता पतासीदेवी की मृत्यु के पूर्व उनके पिता घीसाराम पुत्र सुखाराम की मृत्यु हुई थी, जिसमें अपीलान्ट का नाम उपरोक्त कृषि जौत की भूमि में दर्ज है, जिसकी जमाबन्दी नकल संलग्न है। फिर भी पटवारी हल्का बगडी चक–1 ने उक्त भूमि में मृतक पतासी के वारिसान की जानकारी लिए बिना विधि विरूद्ध तरीके से अपीलान्टान जीवित होते हुए भी उनका नाम उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 798 दर्ज नही कर मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के पिता/पति रामलाल तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 पन्नालाल के नाम स्वीकृत करवा दिया, जो नामान्तरण अपीलान्टान के हक अधिकारों के विरूद्ध बेअसर, शुन्य व प्रभावी है। अपीलान्टान उक्त नामान्तरण संख्या 798 को खारिज करवाकर पुनः नामान्तरण दर्ज करवाने के अधिकारी है। अपीलान्ट अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर ऋण लेने हेतु नकले दिनांक 11.07.2017 को तहसील कार्यालय से प्राप्त करने पर जानकारी में आया कि अपीलान्टान का नाम उनकी माता पतासी की मृत्यु के बाद प्रथम श्रेणी के उतराधिकारी वारिसान होने के बावजूद भी राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज नहीं है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 पन्नालाल का नाम दर्ज कर दिया गया, तब अपीलान्टान ने नामान्तरकरण की नकले दिनांक 11.07.2017 को तहसील कार्यालय सोजत व कार्यालय अधीक्षक कलेक्ट्रेट पाली से प्राप्त करने पर जानकारी हुई कि दिनांक 04.07.1998 को उक्त नामान्तरण दर्ज कर दिया गया। इससे पूर्व अपीलान्टान को उक्त नामान्तरकरण दर्ज करने के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई जानकारी नही थी। अपील अन्दर म्याद पेश करने हेतु धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया है। वादस्थ कृषि भूमि सरहद मौजा बगडी चक–1 में

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

स्थित होने व नामान्तरण संख्या 798 सरपंच ग्राम पंचायत बगडीनगर द्वारा स्वीकृत करने से यह अपील न्यायालय हाजा के श्रेत्राधिकार का है। इस प्रकार अधिवक्ता मय अपीलान्ट ने राजस्व अपील धारा 05 म्याद अधि0 प्रा0 पत्र, शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 798 स्वीकृत दिनांक 04.07.1998 सरहद मौजा बगडी चक–1 को अपास्त किये जाने तथा अपीलान्टान के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टान को जरिए सम्मन्स तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 05 बावजूद तामिली/सुचना बार–बार आवाजें दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से दिनांक 14.03.2018 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 की ओर से दिनांक 20.12.2017 को श्री वासुदेव व श्री विनोद वैष्णव अधिवक्तागण ने वकालतनामा पेश किया, रेस्पोडेन्ट संख्या 04 की ओर से श्री हीरालाल कॉठेर ने दिनांक 14.03.2018 को वकालतनामा पेश किया, सामिल मिसल किया गया। दिनांक 20.12.2017 तथा दिनांक 14.03.2018 को वकालतनामा पेश करने की तिथि के पश्चात् से आज दिनांक तक धारा 05 म्याद अधिनियम का जबाब पेश नहीं किया, फलस्वरूप जवाब बन्द किया गया। तहसीलदार, सोजत से वांछित रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है।

बहस वकुलाय धारा 05 तथा बहस अपील वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्टान ने अपील में वर्णित तथ्यों तथा सजरा वंशावली की ओर ध्यान आकर्षित कर अपीलान्टान के नाम ना0स0 798 स्वीकृति दिनांक 04.07.1998 को बिना विधिक वारिसान की जॉच किये भरे जाने से अर्थात दर्ज होने से रह गया। जबकि पैतृक भूमि में अपीलान्ट का हक अधिकार है। फलस्वरूप धारा 05 म्याद अधि0 का प्रा0 पत्र स्वीकार करने, देरीना अवधि को क्षम्य किये जाने तथा अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर ना0स0 798 खारिज किया जाकर अपीलाण्ट के नाम नामान्तरकरण दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस के दौरान धारा 05 म्याद अधि0 प्रा0 पत्र ठोस साक्ष्य सबूत दस्तावेजात के अभाव में देरीना कारण युक्तियुक्त नहीं होने से म्याद बाहर अपील होने से तथा हक अधिकार इतनी लम्बी समयावधि पश्चात् पेश अपील क्लीनहैण्ड से पेश नहीं करने से पोषणीय नहीं होने से धारा 05 म्याद अधि0 प्रा0 पत्र खारिज किये जाने तथा अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्तागण मय अपीलान्ट द्वारा राजस्व अपील धारा 05 म्याद अधि0 प्रा0 पत्र मय शपथ–पत्र में वर्णित तथ्यों का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुत धारा 05 म्याद अधि0 में वर्णित कारण युक्तियुक्त नहीं होने से खारिज किया जाना तथा अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा राजस्व अपील वर्ष 1998 के लम्बे समय के पश्चात् प्रस्तुत की है। किसी भी पक्षकार के भूमि संबंधी हक अधिकार वाद प्रकरण में तय किये जाते है न कि राजस्व अपील की समरी प्रोसेसिंड के जरिये। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्टान द्वारा प्रस्तुत राजस्व अपील लगभग 23 वर्ष के लम्बे समय के पश्चात प्रस्तुत होने से उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पोषणीय होने से खारिज किया जाना उचित समझते है।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर धारा 05 म्याद प्रा0 पत्र के कारण युक्ति युक्त नहीं होने से तथा किसी भी पक्षकार के भूमि संबंधी हक अधिकार वाद प्रकरण में तय किये जाते है न कि राजस्व अपील की समरी प्रोसेसिंड के जरिये। फलस्वरूप अपीलान्टान द्वारा प्रस्तुत राजस्व अपील लगभग 23 वर्ष के लम्बे समय के पश्चात प्रस्तुत होने से पोषणीय नही होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेख्य भण्डार जमा हो।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज

यह निर्णय आज दिनांक 25.03.2021 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner